विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/2021

श्री देवेन्द्र साहू पुत्र श्री हवेली राम साहू, — आवेदक/अपीलार्थी
निवासी— ग्राम मेहगांव तहसील चीनोर,
जिला — ग्वालियर (म0प्र0) 475110

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक, — अनावेदक/प्रति—अपीलार्थी
(संचा./संधा., संभाग)
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
डबरा, जिला — ग्वालियर (म.प्र.) — 475110

आदेश

(दिनांक 21.03.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री देवेन्द्र साहू पुत्र श्री हवेली राम साहू, ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 17.09.2021 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल/ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक जी.टी. 49/2019 दिनांक 30.01.2021 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 17.09.2021 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00—07/2021 पर दर्ज की गयी है।

02. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य**

1. यहकि अपीलार्थी ने म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, करहिया वितरण केन्द्र तहसील डबरा जिला ग्वालियर से आटा चक्की का व्यवसाय करने हेतु विद्युत कनेक्शन वर्ष 2010—11 में लिया था, जिसका सर्विस नं0 394602—90—1—19367 है। कनेक्शन के समय अपीलार्थी के परिसर में विद्युत मीटर विभाग द्वारा नहीं लगाया गया था।

2. यहकि विद्युत कनेक्शन लगाये जाने के उपरान्त विभाग द्वारा बिना मीटर लगाये अपीलार्थी को कनेक्शन प्राप्त होने के लगभग दो वर्ष तक आंकलित खपत के अनुसार प्रतिमाह 500 यूनिट की दर से विद्युत बिल प्रेषित करने लगा। जिसका भुगतान अपीलार्थी द्वारा नियत समय पर किया जाता रहा। तदोपरांत दो वर्ष बाद उक्त कनेक्शन पर विभाग द्वारा बिना किसी जांच अथवा खपत को देखते हुए प्रतिमाह आंकलित विभिन्न खपत 800, 600, 550 यूनिट की दर से प्रेषित किया जाने लगा। जिसकी शिकायत अपीलार्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से मौखिक रूप से की गई तथा अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन में विद्युत मीटर नहीं लगा जिसे लगाया जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कहा गया कि विद्युत मीटर नहीं लगेगा और जो विद्युत बिल आ रहा है उसे जमा करते रहो अन्यथा हम आपका विद्युत कनेक्शन काट देगे। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना मीटर लगाये अपने विवेक से बिना किसी नियम के अपीलार्थी के उपरोक्त विद्युत कनेक्शन में मनमाने ढंग से विद्युत बिल प्रेषित करते रहे जिसकी शिकायत अपीलार्थी द्वारा समय समय पर की जाती रही परन्तु कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

3. यहकि, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अटल ज्योति योजना प्रारम्भ की गई जिसके तारतम्य में अपीलार्थी के ग्राम में सभी ग्रामवासियों के विद्युत कनेक्शन को उक्त योजना से जोड़ दिया गया परन्तु अपीलार्थी के उपरोक्त विद्युत कनेक्शन को उक्त योजना से नही जोड़ा गया। जिसकी शिकायत अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2018 को सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी ,द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 22.09.2018 को विधिक सूचना पत्र कनिष्ठ यंत्री, म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लि0 करहिया, म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लि0, भितरवार रोड, तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0 को पेषित करा कर उपरोक्त समस्त तथ्यों से अवगत कराया परन्तु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई तदोरान्त अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2019 को स्मरण पत्र प्रेषित कर उपरोक्त समस्त तथ्यों को स्मरित कराकर निवेदन किया कि अपीलार्थी के उक्त कनेक्शन को शासन द्वारा प्रदत्त योजना से जोड़ा जावे तथा अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन पर विद्युत मीटर लगाया जावे परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपितु अपीलार्थी द्वारा पेषित प्रार्थनापत्रों एवम विधिक सूचनापत्र से कुपित होकर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व कारण के अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया। जिसकी शिकायत अपीलार्थी द्वारा विभाग से की गई तब दिनांक 26.07.2019 में विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़ कर विद्युत मीटर

को लगाया गया। जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि को किस्तों के रूप में जमा किया जाता रहा। परन्तु दिनांक 26.07.2019 के उपरान्त विद्युत मीटर लगाये जाने के बाद भी कभी मीटर की खपत अनुसार तथा कभी आंकलित खपत के अनुसार विद्युत बिल प्रेषित किया जाता रहा जिसके आंकलित खपत के अनुसार विद्युत बिल प्रेषित किया जाता रहा जिसका भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया जाता रहा।

4. यहकि, अपीलार्थी के उपरोक्त विद्युत कनेक्शन में की जा रही अनियमितता के संबंध में बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही न किये जाने से अपीलार्थी द्वारा द्वारा विद्युत उपभोक्ता फोरम में दिनांक 31.01.2020 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के उपरोक्त विद्युत कनेक्शन में विद्युत बिल व शासन द्वारा प्रदत्त योजना में बरती गई लापरवाही व अनियमितता को दूर किया जावे जिस संबंध में माननीय फोरम द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 30.01.2021 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी व विद्युत विभाग को निर्णय अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय फोरम द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त लेखिय साक्ष्य को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

5. यहकि, माननीय फोरम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2021 की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को जरिये पंजीकृत डाक दिनांक 05.03.2021 को प्राप्त हुआ तथा अपीलार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से विधिक परामर्श करने की उपरान्त ताकि अपीलार्थी को आर्थिक अभाव के कारण राशि की व्यवस्था करने के उपरान्त उक्त अपील श्रीमान जी के समक्ष समयवधि के भीतर आधारों सहित प्रस्तुत की जा रही हैं

अपील के आधार

1. यहकि, माननीय फोरम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2021 विधि विरूद्ध व नैसर्गिक न्याय दृष्टान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवम मौखिक साक्ष्य को नजर अंदाज कर मात्र एक तरफा विद्युत विभाग के पक्ष में पारित किये जाने से अपीलार्थी को क्षति हुई है जिस कारण माननीय फोरम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, माननीय फोरम द्वारा माह जनवरी 2015, से अगस्त 2016 तक की अवधि के 10 माह के विद्युत देयक प्रतिमाह 550 यूनिट औसत लेकर तत्समय प्रचलित टैरिफ अनुसार विद्युत बिल संशोधित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा जिस समय उपरोक्त विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया था तब से दिनांक 26.07.2019 तक विद्युत मीटर विभाग द्वारा नहीं लगाया गया तथा उपरोक्त समय अवधि में विभाग द्वारा आंकलित खपत के अनुसार प्रतिमाह 550 यूनिट की दर से विद्युत बिल प्रेषित किया गया जबकि अपीलार्थी के ग्राम में अन्य विद्युत कनेक्शन लगे हुए है जिनमें विद्युत मीटर नहीं लगा हुआ है उनके विद्युत बिल आंकलित खपत के अनुसार 350–400 यूनिट के प्रेषित किये जाते रहे है, जो नियम विरूद्ध है जबकि दिनांक 26.07.2019 से विद्युत मीटर लगाये जाने के उपरांत उक्त मीटर की खपत का औसत निकालते हुये विद्युत बिल को समायोजित किया जाना आवश्यक व योग्य था, जिसके संबंध में माननीय फोरम द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यहकि, माननीय फोरम द्वारा अपने निर्णय में उल्लेखित किया गया है कि माह जनवरी 2019 से जुलाई 2020 के बीच विद्युत मीटर कब से कब तक खराब हुआ जिस कारण बिल माह मार्च 2020, अप्रैल 2020 मीटर बंद होने के बाद अगस्त 2020 एवम सितम्बर 2020 में आंकलित खपत ली गई। उक्त समस्त तथ्यों को माननीय फोरम द्वारा मात्र अतिउजलस में उल्लेखित किया गया है जिसका कोई विधिक अधिकार नहीं है। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अपीलार्थी एवम प्रत्याशी के द्वारा उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के परिसर में विद्युत मीटर दिनांक 26.07.2019 को लगाया गया तब जनवरी 2019 में मीटर बन्द होने की स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है।

5. यहकि, माननीय फोरम द्वारा अपने निर्णय में उल्लेखित किया गया है कि माह मार्च 2020 से लेकर नये मीटर लगाये जाने तक की अवधि के देयक नये मीटर में आई तीन महीने की औसत खपत के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा माननीय फोरम से निवेदन किया गया कि विद्युत कनेक्शन लगाये जाने से लेकर विद्युत मीटर लगाये जाने तक विद्युत बिल नये मीटर के तीन माह की खपत के औसत के अनुसार विद्युत देयक को संशोधित किया जावे जिसको नजर अंदाज कर माननीय फोरम द्वारा निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जब माननीय फोरम द्वारा उपरोक्त औसत का विद्युत कनेक्शन के समय से

लेकर नवीन मीटर लगाये जाने तक की समयावधि के विद्युत देयक में उक्त निर्णय पारित नहीं किया गया है।

6. यह कि, माननीय फोरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.01.2021 के पद क्र0 8 के उप पद (i) में उल्लेखित किया गया है कि आवेदक के कथनानुसार आवेदक के परिसर में दिसम्बर 2010 से ही खराब मीटर स्थापित था यह कहना कि मीटर स्थापित ही नहीं था, गलत है। माननीय फोरम द्वारा उक्त तथ्य को मात्र अतिउजलस में बिना किसी आधार पर उल्लेखित किया गया है क्योंकि आवेदक का प्रारम्भ से ही यह कहना है कि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की दिनांक से वर्ष 2019 तक मीटर स्थापित ही नहीं किया गया है। उक्त तथ्य को माननीय फोरम द्वारा स्पष्ट रूप से नजर अंदाज किया गया है।

7. यहकि, अपीलार्थी द्वारा माननीय फोरम के समक्ष इस तथ्य को उठाया गया कि अपीलार्थी का उपरोक्त विद्युत कनेक्शन को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत जुड़ा होना चाहिये था जिससे अपीलार्थी अपना व्यवसाय सुचारू रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त योजना से नहीं जोड़ा गया अपितु सामान्य कनेक्शन को जोड़ा गया जिस कारण अपीलार्थी की आटा चक्की विद्युत आपूर्ति न होने के कारण अधिकाधिक समय तक बन्द रही जिस कारण अपीलार्थी को 75,000/– रू0 की आर्थिक क्षति हुई जिसकी क्षतिपूर्ति विद्युत विभाग को करनी चाहिये थी जिस संबंध में माननीय फोरम द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी को विद्युत विभाग की लापरवाही व उदासीनता के कारण जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति विद्युत विभाग के द्वारा किये जाने बावत निर्णय पारित किया जावे।

8. यह कि, अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रेषित विद्युत बिल का भुगतान करने के लिये हर समय तत्पर व तैयार रहा है एवम अपीलार्थी द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन आटा चक्की को चलाने हेतु लिया गया जिससे अपीलार्थी को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके परन्तु सम्बन्धित विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण अपीलार्थी को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिस कारण अपीलार्थी अपने परिवार का भरण पोषण करने में अक्षम हो रहा है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा प्रदत्त विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूपसे प्रदान किया जाना आवश्यक व योग्य है।

9. अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय फोरम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2021 को निरस्त कर नवीन विद्युत मीटर की खपत के तीन माह का औसत निकालते हुये अपीलार्थी के समस्त विद्युत देयक को विद्युत कनेक्शन लगाये जाने की अवधि से लेकर नवीन मीटर लगाये जाने तक संशोधित किये जाने व अपीलार्थी के उक्त विद्युत कनेक्शन को शासन द्वारा प्रदत्त सौभाग्य योजना से जोड़े जाने एवं सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई लापरवाही के कारण अपीलार्थी की आटा चक्की बन्द रहने के कारण जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु राशि 75,000/– रू0 अपीलार्थी को सम्बन्धित विभाग से प्रदान कराये बावत आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगीं ।

03. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 11.10.2021 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए, जिसमें आवेदक स्वयं उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी । अनावेदक को सूचित हो कि वे आगामी सुनवाई दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

अनावेदक को सूचित करते हुए उक्त प्रकरण में सुनवाई दिनांक 07.12.2021 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 07.12.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक स्वयं उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक कम्पनी को बार–बार सूचित किए जाने के बाद भी उनकी ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । अनावेदक कम्पनी की अनुपस्थिति के कारण बेवजह प्रकरण में विलंब हो रहा है ।

अनावेदक कम्पनी की बार–बार अनुपस्थिति से यह प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण के संबंध में अपना कोई पक्ष या जवाब प्रस्तुत नहीं करना है । अतः पुनः एक बार कम्पनी अनावेदक को सूचित करते हुए नोटिस जारी किया जावें कि अगली सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी । प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 04.01.2022 नियत की जाती है।

सुनवाई दिनांक 04.01.2022 को चूंकि विद्युत लोकपाल का पद रिक्त होने के कारण उक्त प्रकरण में सुनवाई स्थगित की गई तथा विद्युत लोकपाल के पद पर दिनांक 14.02.2022 को पदस्थापना के बाद उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 14.03.2022 नियत की गई ।

दिनांक 14.03.2022 को आवेदक की ओर से आवदेक स्वयं श्री देवेन्द्र साहू तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री रामबालक, उप प्रबंधक करहैय्या उपस्थित ।

आवेदक ने निवेदन किया कि उनको आटा चक्की कनेक्शन वर्ष 2010–11 में प्रदान किया गया था, किन्तु उसमें मीटर नहीं लगाया गया था एवं 500–550 यूनिट प्रतिमाह औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जा रहा था, जिसका वह नियमित भुगतान कर रहा था और वह उक्त औसत खपत से सहमत है ।

किन्तु वर्ष 2015–16 के कई माहों में 600–800 यूनिट तक औसत खपत का बिल भेजा गया किन्तु मीटर नहीं लगाया गया ।

वर्ष 2017 में अटल ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम में 24 घण्टें विद्युत प्रदाय किया गया किन्तु उनका कनेक्शन कृषि पम्प की लाईन से ही रहने दिया गया जिसमें केवल 10 घण्टें विद्युत प्रदाय होता था उसमें से भी 8 घण्टें रात्रि में होता था किन्तु बिल सामान्य औसत पर ही दिया गया जबकि रात्रि में बिजली आने के कारण आटा चक्की का कार्य मुश्किल से 1–2 घण्टें ही होता था । लगातार बार–बार शिकायत करने पर जुलाई 2019 में मीटर लगाकर कनेक्शन अटल ज्योति की लाईन से जोड़ा गया, अतः इस अवधि में 10 घण्टें विद्युत प्रदाय के हिसाब से बिल किया जावे।

मेरे बिल में वर्ष 2015 में राशि रू. 3600 मीटर जला होने की कीमत जोड़ी गई है उसे हटाया जाए एवं उस अवधि में मेरे कनेक्शन पर कोई भी मीटर स्थापित ही नहीं किया गया था ।

04. अनावेदक ने यह बताया कि ग्राम महगांव में अटल ज्योति योजना के अनुसार विद्युत प्रदाय जुलाई 2017 में प्रारंभ हुआ था एवं उक्त आटा चक्की को माह जुलाई 2019 में 24 घण्टें विद्युत प्रदाय वाले घरेलू फीडर से जोड़कर मीटर लगाकर विद्युत प्रदाय सामान्य किया गया ।

अनावेदक इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि वर्ष 2010–11 से जुलाई 2019 तक मीटर लगाया या नहीं लगाया गया था ।

उभयपक्षों द्वारा किए कथन कि उनके द्वारा प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

05. निर्णय :–

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि, विद्युत के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

01. आवेदक को विद्युत कनेक्शन वर्ष 2010–11 में आटा चक्की हेतु प्रदाय किया गया था। मीटर लगाने संबंधी रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण यह माना जा सकता है कि या तो मीटर नहीं लगा था और यदि लगा था तो वह खराब था ।
02. आवेदक प्रत्येक माह औसत खपत 550 यूनिट से संतुष्ट था और वह उसका नियमित भुगतान कर रहा था, अतः वर्ष 2010 से मीटर लगाने की दिनांक तक तीन साल की मीटर खपत के आधार पर बिल पुनरीक्षित करना उचित नहीं होगा । इस प्रकार की मांग अब करना उत्तर चिंतन के आधार पर लाभ उठाना प्रतीत होता है । वर्ष 2015–16 में 550 औसत खपत के स्थान पर 600 से 800 औसत खपत का बिल जारी किया गया था एवं कार्यशील मीटर नहीं लगाया गया । वर्ष 2015–16 में की गई अधिक औसत खपत को पुनरीक्षित करने हेतु विद्वान फोरम ने निर्णय दिया था जिसका अनावेदक ने पालन कर अन्तर राशि का समायोजन आवेदक के बिलों में कर दिया है ।
03. जुलाई 2017 से मीटर लगाने की दिनांक जुलाई 2019 तक आवेदक को कृषि फीडर से केवल 10 घण्टें विद्युत प्रदाय किया जाना प्रतीत होता है इसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा कोई भी साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए, किन्तु इस अवधि में बिल 550 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर ही दिया जाता रहा जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता ।
04. ऑडिट टीम द्वारा वर्ष 2015 में जले हुए मीटर की कीमत राशि रू. 3600 जोड़ी गई है जो कि न्यायोचित नहीं है क्योंकि वर्ष 2015 में या तो मीटर नहीं था या तो वह पूर्व वर्ष 2010–11 से ही खराब था, अतः उक्त राशि वसूली योग्य नहीं है ।

06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों/निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

01. अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, क्योंकि कुछ अवधि में औसत दर पर अधिक बिलिंग किया जाना पाया गया ।

02. अनावेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि जुलाई 2017 से जुलाई 2019 तक जब आवेदक को कृषि फीडर से मात्र 10 घण्टें विद्युत प्रदाय किया जाना पाया गया है विद्युत प्रदाय के घण्टों के आधार पर औषत खपत का पुनरीक्षण करें एवं पुनरीक्षित बिल आवेदक को प्रदान करें ।

03. वर्ष 2015 में मीटर जला होने के कारण मीटर की कीमत के मद में राशि रू. 3600/– ऑडिट रिकवरी के रूप में जोड़ा जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा वर्ष 2011 से लगातार मीटर स्थापित करने हेतु निवेदन किया जाता रहा है, अतः उक्त राशि बिलों में से हटाई जाए ।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल